पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के द्वारा पेश किये गये राजीनामा एवं ईकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। जो कि किये गये है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि का की अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

हमारी राय में मौजा फरड़ोद के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार खातेदारी दर्ज करवा सकते है चूंकि वादग्रस्त खेतायों की भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 कमश पांचू देवी व चिराग शर्मा ना.बा संरक्षक जरिये पांचू देवी के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 732 रकबा 2.1691 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम कोई भूमि नहीं रखे जाने से मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मुताबिक वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नंबर 732 रकबा 2.1691 हैक्टेयर में सहखातेदार घोषित किया जाकर पक्षकारान् के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र एवं राजीनामा एवं ईकबालिया जवाब, संलग्न बंटवाड़ा स्कीम हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा फरड़ोद सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 309 की भूमि के मुतदाविया खेताय का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य बंटवाड़ा माफिक वाद पत्र किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 व 2 कमश पांचू देवी व चिराग शर्मा ना.बा संरक्षक जरिये पांचू देवी के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 732 रकबा 2.1691 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)

निर्णय आज दिनांक 09/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner